



पंचदश विहार विधान सभा

षोडश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनाएँ विहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमबद्दी के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-31.03.2015 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	२	३	४
१.	श्री मंजीत कुमार सिंह, स०वि०स० श्री रामेश्वर पासवान, स०वि०स० श्री अरुण मांझी, स०वि०स० श्रीमती उषा सिन्हा, स०वि०स० श्री इयाम बिहारी प्रसाद, स०वि०स० श्री इयाम बहादुर सिंह, स०वि०स० श्री गौतम सिंह, स०वि०स० श्री ऋषि मिश्रा, स०वि०स० श्री रत्नेश सादा, स०वि०स० डॉ वारद अली, स०वि०स०	"गोपालगंज जिला अंतर्गत बैकुण्ठपुर प्रखण्ड स्थित उसी, पकहा, जल शीतलपुर जमीन्दारी बांध की अबतक पुनर्जीवित नहीं की गई है। जमीन्दारी संसाधन बांध के निर्माण नहीं किये जाने से प्रति वर्ष बाढ़ आ जाती है, जिससे 10 हजार लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं। हजारों एकड़ जमीन में लगी फसल को बर्बादी होती है। प्रतिवर्ष बाढ़ में झूबने से कई लोगों की मृत्यु होती है। सरकार को राहत कार्य में नागद अनुदान, खाद्यान, पालीचीन, दबा, पशु-चारा में प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपये खर्च होते हैं। जमीन्दारी बांध को वर्ष 2007-08 में पुनः जीवित करने हेतु निविदा प्रकाशित की गई थी लेकिन जमीन्दारी बांध का निर्माण नहीं हो सका। वर्ष 2014-15 में उक्त जमीन्दारी बांध के निर्माण हेतु मुख्य अधियंता, सिवान द्वारा 3.5 करोड़ की प्रावक्षित राशि की स्वीकृति हेतु अधियंता प्रमुख उत्तर, जल संसाधन विभाग, विहार, पटना को भेजी गई, जो अपील तक संवित है। जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के ज्ञापांक-17, दिनांक-14.01.2015 द्वारा प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, विहार को जमीन्दारी बांध निर्माण हेतु अनुरोध भी किया गया है। अतएव उक्त जमीन्दारी बांध का निर्माण हेतु हम सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं।"	

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	श्री तार किशोर प्रसाद, स०वि०स०	"कटिहार नगर निगम क्षेत्र के अधीन वर्ष-2010 में शहरी जलापूर्ति योजना का पुनर्गठन कार्य के तहत 8 करोड़ 25 लाख रु० की लागत से दो जलमीनार बनकर तैयार हैं एवं जलापूर्ति हेतु पाइप लाईन बिछा दिया गया है, लेकिन शुद्ध पेयजल मुहैया कराने हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अतः नागरिकों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति करने हेतु मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।"	नगर विकास एवं आवास

हरेराम मुखिया

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

598

/ वि०स०, पटना, दिनांक- ३० मार्च, २०१५ ई०।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-14/15-

प्रति :- बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / जल संसाधन विभाग तथा नगर विकास एवं आवास विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

३०/३/१५

(भूषण कुमार झा)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

598

/ वि०स०, पटना, दिनांक- ३० मार्च, २०१५ ई०।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-14/15-

प्रति :- उप सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / अपर आप सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / अवर सचिव, सचिवीय कार्यालय को ऋमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित।

३०/३/१५

(भूषण कुमार झा)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

३०/३/१५